

फॉर्म/ FORM 3
[नियम 54(12) देखें/ See rule 54 (12)]
परिवार का विवरण/Details of Family

1. सरकारी कर्मचारी का नाम/ Name of the Government servant
2. पदनाम/ Designation
3. जन्म की तारीख/ Date of birth
4. दिनांक को परिवार के सदस्यों का विवरण/ Details of the members of family as on.....:

क्र.सं./ S. No	परिवार के सदस्यों के नाम/ Names of the members of family	जन्म की तारीख/ Date of birth	अधिकारी के साथ संबंध/ Relationship with the officer	वैवाहिक स्थिति/ Marital status	टिप्पणियां/ Remarks	कार्यालय प्रमुख के दिनांकित हस्ताक्षर/ Dated signature of Head of Office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

मैं एतद्वारा कार्यालय प्रमुख को किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन को सूचित करके उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Government servant

स्थान/ Place :

दिनांक/ Date :

टिप्पणी 1- सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत मूल फॉर्म अभिलेखार्थ रखा जाएगा। सभी परिवर्धन/ परिवर्तन को इस फॉर्म में दिए गए कॉलम 7 में कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर सहित रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मूल फॉर्म के जगह पर किसी भी नए फॉर्म को नहीं रखा जाएगा।

Note 1. – The original Form submitted by the Government. Servant is to be retained. All additions/alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Government. Servant should submit the details of family afresh along with Form 5.

टिप्पणी 2- पति या पत्नी, सभी बच्चे एवं माता-पिता (पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं भी हो तब भी) और विकलांग (भाई-बहन) का विवरण दिया जाए।

Note 2. – The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

टिप्पणी 3- कार्यालय प्रमुख 'टिप्पणी' कॉलम में परिवार से संबंधित परिवर्धन या परिवर्तन के बारे में प्राप्त पत्र की तारीख को इंगित करेगा। परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति या विकलांगता संबंधी तथ्य का 'टिप्पणी' कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए।

Note 3. – The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

टिप्पणी 4- पत्नी और पति में न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी और पति शामिल होंगे।

Note 4. - Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

अनुलग्नक- 'ग'
ANNEXURE-'C'

आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण, जिनके नाम सी.सी.एस. (पेंशन) नियम '81' के नियम 54(12) के अंतर्गत उल्लेखित है, अर्थात् फॉर्म- 1 में नहीं दर्शाए गए हैं तथा वे सी.सी.एस. (एलटीसी) नियम '88' के नियम-4 (घ) के अंतर्गत परिवार के सदस्य के रूप में आते हैं।

Details of dependent family members whose name are noted on under Rule 54(12) of CCS(Pension) Rule'81' i.e. not shown in Form-1 comes as family member in term of Rule-4(d)of CCS(LTC) Rules'88'.

सरकारी कर्मचारी का नाम :-

Name of the Govt. servant :-

पदनाम एवं खाता सं. :-

Designation & A/C NO. :-

नियुक्ति की तारीख :-

Date of appointment :-

दिनांक की स्थिति के अनुसार मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण
Details of the members of my family as on :-

क्र.सं. Sl.No.	परिवार के सदस्यों के नाम Name of the members of family	जन्म की तारीख Date of Birth	अधिकारी के साथ संबंध Relationship with the officer	कार्यालय प्रमुख की प्रारंभिक टिप्पणियां Initial remarks of the Head of office	व्यवसाय Occupation
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

मैं एतद्वारा लेखापरीक्षा अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को सूचित करके परिवर्धन या परिवर्तन हेतु उपरोक्त विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Audit Officer /Head of the office may addition or alteration.

मैं यह भी वचन देता हूँ कि परिवार के सदस्यों का विवरण जिनके नाम ऊपर उल्लिखित हैं, वे पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हैं और प्रत्येक सदस्य की आय सभी स्रोतों से 3,500 रुपये प्रतिमाह है।

I also hereby undertake that the family members whose names are mentioned above are wholly dependent upon me and income of each member from all sources Rs. 3500/-per month.

स्थान :-

Place :-

दिनांक :-

Date :-

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Govt. Servant

टिप्पणी:- एलटीसी के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ है (फॉर्म-3 में दर्शाए गए परिवार के सदस्यों के नाम छोड़कर)

Note: - Family for the purpose of LTC means (Excluding the name of family members shown in Form-3).

i) अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो और पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो।

i) Unmarried children or step children of age 25 years and above and wholly dependent on the Govt. Servant.

ii) विवाहित बेटी जो तलाकशुदा, परित्यक्त या अपने पति से अलग तथा सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हो और पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो।

ii) Married daughters who have been divorced, abandoned or separated from their husbands and are residing with the Govt. Servant and are wholly dependent on the Govt. Servant.

iii) माता-पिता और/ अथवा सौतेली माता सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हो और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो।

iii) Parents and/ or step mother residing with and wholly dependent on the Govt. Servant.

iv) अविवाहित नाबलिंग भाई तथा अविवाहित, तलाकशुदा, अपने पति से अलग हुई या विधवा बहन जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हो और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो, बशर्ते कि उनके माता-पिता या तो जीवित न हों, या वे स्वयं पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों।

iv) Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned separated from their husbands or widowed sister residing with and wholly dependent on the Govt. Servant, provided their parents and either not alive or one themselves wholly dependent on the Govt. Servant.